राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, (राज.) – 302004

क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./ई–प्रोक्योरमेंट सैल/2024/1879 दिनांक : 26/07/2024

अल्पकालीन नीलामी/निविदा सूचना (खुली बोली)

सर्वसाधारण विशेषकर लकड़ी, पेपर मिलों एवं फर्नीचर के व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न स्थानों एवं उद्यान विभाग के सूखे पेड़ों ("जहाँ है जैसा है") की लकड़ी की नीलामी दिनांक 02.08.2024 को अपराह्न 2:00 बजे से 3:00 बजे तक की जावेगी। अतः इच्छुक क्रेतागण/अधिकृत प्रतिनिधि नियत स्थान, दिनांक एवं समय पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। निविदा प्रपत्र/शर्ते सा.प्र. स्टोर से प्राप्त की जा सकती है तथा SPP पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट www.uniraj.ac.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. .... dated ....

कुलसचिव

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Jawahar Lal Nehru Marg,

Jaipur – 302 004, India

BID DOCUMENT

FOR

NIB NO. : .... dated ....

परिसर स्थित विभिन्न स्थानों एवं उद्यान विभाग की सूखे/कटे हुए पेड़ों की जलाउ अथवा अन्य उपयोग हेतु लकडियों "जहाँ है जैसा है" की नीलामी (खुली बोली)

राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, (राज.) – 302004

परिसर स्थित विभिन्न स्थानों एवं उद्यान विभाग की सूखे/कटे हुए पेड़ों की जलाउ लकडियों "जहाँ है जैसा है" की नीलामी (खुली बोली)

निविदा संख्या	G.Ad./Eprocurment Cell/2024/ 1879 Dated 26/07/2024
तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय Technical Bid Submission end date	02-08-2024 upto 12:30 P.M.
तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	02-08-2024 at 12:45 P.M. in HRDC Hall
निविदा फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	www.uniraj.ac.in, www.eproc.in www.sppp.rajasthan.gov.in
खुली बोली की दिनांक एवं समय	02-08-2024 upto 02:00 P.M. to 3:00 P.M.
Name of the Company/Firm:	
Name of Contact Person	
Address of Company / Firm for Correspondence:	
Office Telephone No.:	
Office Fax No.	
Office E-Mail Address:	

- निविदा शुल्क : 500/– कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय होगा। Bid Security राशि 5000/– रूपये कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम देय होगा।
- निविदा शुल्क/धरोहर राशि, नकद/डीडी/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करवाये जा सकते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

परिसर स्थित विभिन्न स्थानों एवं उद्यान विभाग की सूखे पेड़ों की लकडियों की नीलामी हेतु निविदा विवरण

ठेकेदार/फर्म का नाम	
पता	
फोन/मो. नं.	
फर्म/ठेकेदार का जी.एस.टी. पंजीकरण यदि हो तो, की सत्यप्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अथवा घोषणा पत्र	
1. पैन कार्ड संख्या मय प्रति 2. आधार कार्ड संख्या मय प्रति	

हस्ताक्षर
निविदादाता/ठेकेदार
नाम ....
पता ....
....

राजस्थान विश्वविद्यालय,

जयपुर

नीलामी आवेदन पत्र एवं शर्ते

फर्म का नाम...

पताः–...

दूरभाष नं.:–...

अमानत राशि का डी.डी. नं./रसीद नं ....दिनांक..........................राशि 5000/–

नीलामी आवेदन प्रपत्र शुल्क का डी.डी. नं/रसीद नं. ....दिनांक..........................राशि 500/–

नीलामी समूह के सामान का नाम, अमानत राशि एवं न्यूनतम/आरक्षित राशि तथा बोली की तिथि व समय निम्न विवरणानुसार निर्धारित हैः–

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	बोली का प्रकार	आरक्षित राशि प्रति क्विंटल	अमानत राशि	दिनांक एवं बोली का समय
(क)	परिसर स्थित विभिन्न स्थानों एवं उद्यान विभाग की सूखे पेड़ों की लकड़ियों के नीलामी ।	खुली बोली	400/–	5000/–	02.08.2024 दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक

- बोली आरक्षित राशि के पश्चात् 0.10 रु. के गुणक में लगाई जावेगी।

नोटः– नीलामी आवेदन प्रपत्र का मूल्य रु. 500/– (नॉन–रिफण्डेबल) होगा जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं SPP पोर्टल से डाउनलोड कर निविदा पपत्र शुल्क 500/– रु. 'रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर' के पक्ष में डी.डी./नकद के रूप में जमा करवाया जा सकता है।

निविदादाता का नाम मय सील

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र में चिन्हित कटे हुए सूखे पेडों को "जहां है जैसा है" अनुसार इत्यादि हेतु आमंत्रित निविदा प्रपत्र।
2. निविदा निहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदा सूचना राजस्थान सरकार एवं वि.वि. की अधिकृत वैबसाइट क्रमशः www.sppp.rajasthan.gov.in, www.uniraj.ac.in पर प्रकाशित कर दी है।
4. निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में सामान्य प्रशासन अनुभाग (स्टोर) में उपलब्ध होने के साथ–साथ उक्त वैबसाइटों पर भी उपलब्ध है।
5. निविदादाता से अपेक्षा है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभी विभाग/केन्द्रों से संबंधित भवन/कुलपति आवास, कुलपति सचिवालय/संघटक महाविद्यालय के आसपास सभी जगहों एवं कन्वोकेशन सेन्टर का निरीक्षण कर लें। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक कार्यालय समय में उप कुलसचिव, सा.प्र. से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विश्वविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
6. निविदादाता पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में जमा करवाये। तथा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व **निविदा शुल्क 500/–** एवं **बयाना राशि 5000/–** निहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। निविदादाता नियमानुसार निविदा में उसका उल्लेख करते हुये संबंधित प्रपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को उपापन समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें संबंधित फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खुली बोली द्वारा प्राप्त की जायेंगी इस हेतु दिनांक, समय एवं स्थान के लिये निविदादाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा।
9. शेष शर्तें नियम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार स्वतः ही मान्य होंगे संबंधित निविदाकार को कटे सूखे पेड़ों की लकड़ी उठाने हेतु औजार तथा ट्रेक्टर ट्रोली अपने स्वयं के खर्चे पर लाने होगें। इसके लिये कोई शुल्क अलग से देय नहीं होगा।
10. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार/निरस्त एवं शिथिलता प्रदान करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जायेगा।
11. ठेका दर युक्तियुक्त एवं बाजार दरों के अनुसार ही दिया जाना संभव होगा।
12. श्रमिकों के सम्भावित दुर्घटना एवं किसी भी हानि के लिये ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगें।
13. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
14. निविदादाता को सूखे पेड़ों की लकड़ी उठाने से पूर्व निविदा में स्वीकृत H–1 राशि को शत प्रतिशत अग्रिम जमा करवाना आवश्यक होगा।
15. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

16. संबंधित कार्य कार्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी की देख–रेख में किया जाना होगा एवं धर्मकाँटे पर वजन करा, खाली एवं भरी हुई गाड़ी की वजन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी, धर्मकांटा वजन व्यय संवेदक द्वारा ही वहन किया जावेगा।
17. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा तथा बाल श्रमिक कानूनों की पालना संवेदक को करना अनिवार्य है।
18. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
19. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादित की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. संवेदक को 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यादेश के अनुसार **विधिक करार** करना होगा।
21. किसी फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि नीलामी हेतु उपस्थित होने पर लेटर पेड पर अधिकृत होना चाहिये एवं हस्ताक्षर प्रमाणित होना चाहिये।
22. नीलामी बोली से पूर्व बोलीदाता को फर्म का जी. एस. टी. नम्बर व पेन नम्बर की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
23. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता के फोटो पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र देना होगा व धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं नगद जो रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय होगा, जमा कराने के बाद ही नीलामी में बोली लगाने का अधिकार होगा।
24. कुल विक्रय की गई लकड़ी की बोली राशि के अनुसार कुल राशि का 2.5% आयकर, 18% जी.एस.टी. एवं 1.60% मंडी टैक्स पृथक् से जमा कराने पर ही लकड़ी सुपुर्द की जावेगी। जलाउ लकड़ी पर जी. एस.टी. लागू नहीं होगा।
25. सशर्त नीलामी की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। तार/फैक्स और ई–मेल द्वारा प्रेषित बोली मान्य नहीं होगी।
26. सफल बोलीदाता सभी टैक्स जैसे जी.एस.टी., मण्डी टैक्स तथा आयकर इत्यादि मौके पर नीलामी के दिन ही नियमानुसार जमा कराना होगा, अन्यथा अमानत राशि जब्त की जाकर पुनः नीलामी की जावेगी।
27. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि अथवा निर्देशानुसार राशि तत्काल जमा करानी होगी। शेष 75 प्रतिशत नीलामी के 3 दिवस में बिना ब्याज के जमा करानी होगी। 3 दिवस में रकम जमा न होने पर चट्टा जब्त कर पुनः नीलाम किया जावेगा एवं अन्तर की राशि व्यापारी से वसूल की जावेगी।
28. नीलाम होने की दिनांक से 3 दिवस तक कोई चट्टा किराया नहीं होगा। नीलाम तारीख से 4 वें दिन से चट्टा किराया नियमानुसार देया होगा एवं नीलामी के 15 दिवस उपरान्त व्यापारी द्वारा चट्टा नहीं उठाने पर पुनः नीलाम कर दिया जावेगा एवं अंतर राशि व्यापारी से वसूल की जावेगी। तथा नियमानुसार TP प्राप्त करने के पश्चात् ही परिवहन किया जावेगा।
29. नीलामी की उचित बोली नहीं आने पर बिना कारण बताये नीलामी निरस्त अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।
30. सफल बोलीदाताओं को वन उपज उठाने से पूर्व उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों की सूची इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

31. सफल निविदादाता को खाली वाहन एवं भरे हुए वाहन (माल/लकड़ी) का वजन कार्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष धर्मकाँटे पर करा वजन पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। धर्मकाँटे वजन का व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
32. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर जिला, राजस्थान होगा।
33. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इसके साथ ही साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान एवं शर्तें लागू होंगी।

क्रम संख्या 1 से 33 तक सभी शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं।

हस्ताक्षर निविदाकार

पता ....

....

मो./दूरभाष नं. ....